पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 358/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 27.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 27.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना- अहरौला: मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡दिनांक 21.11.2024 को वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम अजोर ग्राम भोगइचा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने तहरीर दिया कि दिनांक- 19.11.2024 को समय करीब रात 09.00 बजे के आस पास सिकन्दर पुत्र फिरतू ग्राम पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ ने प्रार्थी को चांदनी चौक भोगइचा चौक पर अनायास मुझे गाली देने लगे कि मेरे द्वारा मना करने पर गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए मेरे हाथ के अंगूठा को मुँह से काट लिया हैं, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 483/2024 धारा 118(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡आज दिनांक 27.11.2024 को उ0नि0 राकेश कुमार तिवारी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र फिरतू नि0 पकड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ को पकड़ी बाईपास तिराहे से समय 12.38 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

02.थाना देवगांव: चोरी की मोबाइल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

➡दिनांक- 31.12.2023 को वादी मुकदमा चन्द्रशेखर पुत्र पारस निवासी ग्राम अहमदपुर ब्योहरा लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़ के आनलाईन एफआईआर के आधार पर दिनांक 5/09/2024 को मरीज पशु का इलाज के दौरान चोरी हो के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 346/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना प्रक्षि0उ0नि0 विनय कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

➡दिनांक 27.11.2024 को प्रक्षि0उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना देवगांव आजमगढ मय हमराह देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को गड़ौली तिराहे से 01 अदद मोबाइल के साथ समय 09.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

03.थाना – रौनापार: किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡अवगत कराना है कि वादिनी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 04.11.24 समय करीब 07.00 बजे सुबह वादिनी की पुत्री उम्र 17 वर्ष जो घर मे अकेला पाकर प्रतिवादी मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर व सहयोगी चाचा जितेन्द्र राजभर निवासीगण ग्राम रेघवली थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/2024 धारा 137(2),87/61(2) बीएनएस बनाम 1.मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर 2- जितेन्द्र राजभर पुत्र अज्ञात निवासीगण रेघवली थाना घोसी जनपद मऊ के पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है।

➡जिसमें दौराने विवेचना बरामदगी पीड़िता/अपहता व अभियुक्त को आज दिनांक 27.11.2024 को गिरफ्तार किया गया। पीडिता /अपहता के शैक्षणिक प्रमाण के अवलोकन से पीड़िता की उम्र 17 वर्ष 4 माह हो रही है। बयान अन्तर्गत धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 137(2),87/61(2),64 बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट में की जायेगी।

➡आज दिनांक 27.11.2024 को उ0नि0 सुमित सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुकेश राजभर पुत्र दिनेश राजभर सा0 रेघवली थाना घोषी जनपद मऊ को बैदौली तिराहा के पास से समय करीब 10.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

04.थाना जहानागंजः लड़की के साथ छेड़खानी व मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

➡ अवगत कराना है कि दिनांक 22.11.2024 को थाना जहानागंज के वादी थाना उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र दिया कि वादी की लड़की दिनांक 20.11.24 को घर से बाहर शाम 7 बजे शौच के लिये खेत में गयी थी। विपक्षी गोलू विश्वकर्मा पुत्र श्री कान्त विश्वकर्मा अपने 3 साथी के साथ वादी मुकदमा की पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी व लड़की के शोर मचाने पर उक्त सभी लोग जाति सुचक शब्दों से गाली देते हुये भाग गये, के सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 595/24 धारा-74,110,352,351(2),70(1) बी0एन0एस0 व 3(1)द,3(1)ध, 3(2)V SC/ST ACT थाना जहानागंज बनाम- गोलू विश्वकर्मा पुत्र श्रीकान्त विश्वकर्मा नि0 टडवा थाना जहानागंज आजमगढ व 03 अज्ञात अभियुक्तो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर आजगमढ द्वारा की जा रही है।

➡ आज दिनांक 27.11.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू उर्फ अंकित विश्वकर्मा पुत्र श्रीकान्त विश्वकर्मा निवासी टड़वा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को भुजही मोड़ जहानागंज के पास के पास से समय करीब 10.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।